न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील प्रकरण संख्या 05 /2024
सुखजीत कौर बनाम श्रवण सिंह

05.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी श्रवण सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमियों का स्थाई आवंटन) अधिनियम 1963 धारा 5(2) ए के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 3 एल बडा के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 02 ता 09 व 13 का 0.10 बीघा कुल 08.10 बीघा नहरी रकबा जीता सिंह पुत्र अच्छर सिंह असालतन व मुख्तयार आम मु. भान कौर बेवा अच्छर सिंह, मु. र्स्वणी जोजो काला सिंह व मु. जिन्दो जोजा दलीप सिंह जाति हरिजन साकिन मटीलीराठान तहसील श्रीगंगानगर से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 26.12.1977 क्रय की गई थी, जिस पर प्रार्थी कब्जा प्रार्थी का खरीद दिनांक से चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा की नियमन राशि जमा करवाकर खातेदारी प्राप्त करने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास), श्रीगंगानगर ने आवंटी अच्छर सिंह पुत्र खडग सिंह जाति मजहबी निवासी मटीलीराठान, तहसील श्रीगंगानगर की चक 3 एल बडा के मु.नु. 43 के कि.नं. 2 ता 09 व 13 का 0.10 बीघा कुल 8.10 बीघा नहरी भूमि को आवंटी का नाम कलमजन किया जाकर क्रेता श्रवण सिंह पुत्र. [illegible] सिंह जाति मजहबी निवासी मटीलीराठान तहसील श्रीगंगानगर को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकन किए जाने के आदेश दिये गये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट सुखजीत कौर पुत्र मनजीत कौर पत्नी रेशम सिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक अपील पेश की जो राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.2024 से गुणावगुण पर खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय को पुष्ट किया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.04.2024 से उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को पुष्ट किया जा चुका है और राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील/रिवीजन में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उसे मूल लौटाई जानी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील मूल ही उसे लौटाई जाती हैं। इस बात का अंकन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की पुश्त पर किया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर